

कार्यवृत्त नीलामी (टैन्डर)

न्यायपीठ सहारनपुर व बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित प्रतिष्ठानों की वित्तीय वर्ष-2025-2026 की नीलामी हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक-3485/Admin(B-I)Section Allahabad दिनांकित 16.12.2024 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा न्यायपीठ सहारनपुर व बाह्य न्यायालय देवबन्द के समस्त प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर समस्त प्रतिष्ठानों की आरक्षित न्यूनतम बोली निर्धारित व प्रस्तावित की गयी।

उक्त निर्धारित न्यूनतम मूल्यों के अनुमोदन हेतु माननीय उच्च न्यायालय को पत्रांक-40/XVCN/2025 दिनांकित 18.02.2025 एवं पत्रांक-50/XVCN/2025 दिनांकित 05.03.2025 प्रेषित किया गया था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय से आज की तिथि तक अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में तथा दिनांक 31.03.2025 को वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण माननीय जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त आज दिनांक 19.03.2025 को सांय 01:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. भवन में न्यायपीठ सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों: चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-2 तथा रेहड़ी दाल मौठ की वित्तीय वर्ष-2025-2026 हेतु नीलामी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में श्री आलोक शर्मा, सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज कक्ष सं0-11 सहारनपुर, श्री कमलदीप सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज / त्वरित न्यायालय-द्वितीय सहारनपुर तथा श्री संजीव कुमार शर्मा, सदस्य नीलामी समिति / कोर्ट मैनेजर सहारनपुर उपस्थित आये। इसके अतिरिक्त उक्त प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के अनुसार ठेके की जमानत धनराशि भी निर्धारित की गयी। उपरोक्त का विवरण निम्नवत है।

क्र.सं	प्रतिष्ठान का नाम	समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम आरक्षित बोली	ठेके की जमानत धनराशि
1.	चाय कैन्टीन	अंकन 10,66,000/- रुपये	अंकन 1,00,000/- रुपये
2.	साईकिल स्टैंड	अंकन 31,52,000/- रुपये	अंकन 1,00,000/- रुपये
3.	फोटोस्टेट दुकान नं0-01	अंकन 3,24,000/- रुपये	अंकन 1,00,000/- रुपये
4.	फोटोस्टेट दुकान नं0-02	अंकन 10,40,000/- रुपये	अंकन 1,00,000/- रुपये
5.	पान की दुकान नं0-01	अंकन 1,05,000/- रुपये	अंकन 30,000/- रुपये
6.	पान की दुकान नं0-01	अंकन 2,27,000/- रुपये	अंकन 30,000/- रुपये
7.	रेहड़ी दाल मौठ	अंकन 66,500/- रुपये	अंकन 30,000/- रुपये

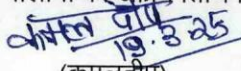
बैठक में सर्वसम्मति से इस न्यायपीठ स्थित उपरोक्त सात प्रतिष्ठानों (चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-2 तथा रेहड़ी दाल मौठ) की वित्तीय वर्ष-2025-2026 हेतु नीलामी को सीलबंद टैन्डर के माध्यम से कराये जाने पर विचार किया गया। उक्त सम्बन्ध में दिनांक 26.03.2025 तक सांय 05:00 बजे सीलबंद टैन्डर आमंत्रित किये जाते हैं, जो दिनांक 27.03.2025 को समय 04:30 बजे टैन्डरदाताओं की उपस्थिति में न्यायालय परिसर में स्थित ए.डी.आर. भवन में खोले जायेंगे।

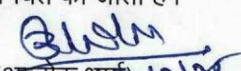
प्रत्येक टैन्डरदाता को टैन्डर खुलने से पूर्व ठेके की जमानत धनराशि जमा करानी होगी, जो टैन्डर स्वीकार होने पर ठेके में समायोजित कर दी जायेगी, तथा अन्य टैन्डरदाताओं की जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त बैठक में नीलामी हेतु नियम व शर्तों पर विचार-विचार विमर्श किया गया तथा नियम व शर्तें निर्धारित की गयी। केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया गया कि वह उक्त सम्बन्ध में नियमों व शर्तों का माननीय जनपद न्यायाधीश से अनुमोदन कराने के उपरान्त इनके प्रचार-प्रसार हेतु न्यायपीठ के नोटिस बोर्ड व कलेक्ट्रेट में स्थित नोटिस बोर्ड तथा अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा कराये तथा भिन्न-भिन्न तिथियों पर दो स्थानीय समाचार-पत्रों व एक राष्ट्रीय समाचार-पत्र में प्रकाशन कराये एवं जिला न्यायालय सहारनपुर के पोर्टल तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर भी अपलोड कराये।

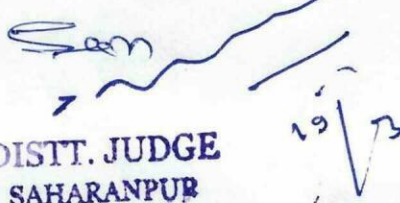
नीलामी की अग्रिम तिथि दिनांक 27.03.2025 नियत की जाती है।


(संजीव कुमार शर्मा)
सदस्य नीलामी समिति /
कोर्ट मैनेजर
सहारनपुर।


(कमलदीप)
सदस्य नीलामी समिति /
अपर जिला जज/ त्वरित न्यायालय-II
सहारनपुर।


(आलोक शर्मा)
सदस्य नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष सं0-11
सहारनपुर।


(प्रकाश तिवारी)
अध्यक्ष नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष सं0-03
सहारनपुर।


DISTT. JUDGE
SAHARANPUR

नियम व शर्तें

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों (चाय कैन्टीन, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, साईकिल स्टैन्ड, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02, एवं रेहड़ी दाल मौठ) को टैन्डर के माध्यम से उठाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष-2025-2026 के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं, जिनका अनुपालन अनुबन्धित निविदाकर्ताओं द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि उससे वसूल कर ली जायेगी।

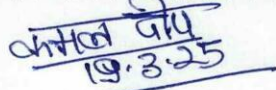
1. दिनांक 27.03.2025 तक एक मुश्त जमा की गयी ठेके की धनराशि के 25 प्रतिशत के अतिरिक्त शेष धनराशि माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर की प्रत्येक 07 तारीख तक जमा किया जायेगा। किश्त का भुगतान न करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
2. अनुज्ञप्ति धारक की किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्ति धारक को करनी होगी।
3. अनुज्ञप्ति धारक को सम्पूर्ण ठेका की धनराशि के बराबर का अपने अचल सम्पत्ति का विवरण मय शपथ-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह अन्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करना होगा कि अनुज्ञप्ति की उक्त अवधि में उक्त सम्पत्ति किसी को अंतरित नहीं करेगा, अवशेष लाईसेन्स फीस की वसूली उसकी उक्त सम्पत्ति से की जा सकेगी।
4. ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते हैं और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।
5. निविदाकर्ता (टैन्डरदाता) को निविदा खोले जाने के समय दोनों पान की दुकान एवं रेहड़ी दाल मौठ के लिए अंकन 30,000/- (तीस हजार) रुपये तथा चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैन्ड एवं दोनों फोटोस्टेट दुकान के लिए अंकन 1,00,000/- (एक लाख) रुपये प्रतिभू धनराशि के रूप में जमा करने होंगे तथा कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त जिन निविदाकर्ता के नाम ठेका नहीं छूटेगा, उनकी प्रतिभू धनराशि के रूप में जमा धनराशि को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।
6. समस्त निविदाकर्ताओं को अपनी हैसियत आदि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
7. ठेकेदार को उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही अपना कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में किसी अन्य स्थान पर ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
8. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा कार, स्कूटर, साईकिल इत्यादि के लिए ली जाने वाली धनराशि माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।
9. ठेकों के स्थान के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि-यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा तथा ठेकों के स्थान को साफ सुथरा रखा जायेगा।
10. ठेकेदार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नहीं दिया जायेगा और न ही किराये पर उठाया जायेगा। इस जगह का किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।
11. ठेकेदारी के समय यदि कोई वाहन चोरी होता है या पेट्रोल चोरी होता है या क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।



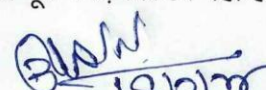
12. ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा ठेके के स्थान को शान्तिपूर्ण ढंग से तथा पूर्व स्थिति में खाली कर दिया जायेगा।
13. ठेका प्राप्त करने वाले ठेकेदार को ठेके की 25 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त ठेका छूटने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा ठेका स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा और अग्रिम जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. जिन निविदाकर्ताओं का ठेका स्वीकार किया जायेगा उन निविदाकर्ताओं की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रूप में जमा रखा जायेगा। ठेके की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
15. ठेके की प्रतिमाह की देय किश्त माह की प्रत्येक 07 तारीख तक जमा करानी होगी। कोई भी त्रुटि होने पर उसके विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली किश्त की अदायगी की दिनांक से जमा करने की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।
16. न्यायालय परिसर में स्थित पान की दुकानों पर बीड़ी, सिगरेट, एवं गुटका बेचना प्रतिबन्धित होगा।
17. विद्युत व्यवस्था हेतु ठेकेदार बिजली का कनेक्शन लेगा या विद्युत सबमीटर लगवायेगा एवं निर्धारित दरों से सब-मीटर में आयी रिडिंग का भुगतान करेगा। सब-मीटर की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं अपने खर्चे से करायेगा एवं यदि न्यायिक प्रतिष्ठान से विद्युत व्यवस्था चाहता है तो उसके लिए आवेदन करेगा और सब-मीटर लगाने के बाद ही विद्युत का उपभोग कर सकेगा। उल्लंघन की दशा में विद्युत कनेक्शन काट दिया जायेगा। पुनः कनेक्शन लगाने की अनुमति नहीं होगी।
18. ठेकेदार वाहनो की वसूली नगर निगम द्वारा निर्धारित दर से वसूल करेगा एवं उसकी सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा।
19. समस्त ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे व कूड़ेदान आदि की व्यवस्था अपने खर्चे पर करेंगे।
20. ठेकेदार इस आशय का भी शपथ-पत्र देगा कि वह पूर्व में डिफाल्टर नहीं है।



(संजीव कुमार शर्मा)
सदस्य नीलामी समिति /
कोर्ट मैनेजर
सहारनपुर।



(कमलदीप)
सदस्य नीलामी समिति /
अपर जिला जज/ त्वरित न्यायालय-II
सहारनपुर।



(आलोक शर्मा)
सदस्य नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष सं0-11
सहारनपुर।



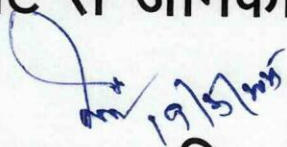
(प्रकाश तिवारी)
अध्यक्ष नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष सं0-03
सहारनपुर।



DISTT. JUDGE
SAHARANPUR

प्रेस विज्ञप्ति

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों-एक कैन्टीन (नाश्ता चाय आदि), साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-2, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02 व एक रेहड़ी दाल मौठ को टैन्डर द्वारा उठाये जाने के लिए वित्तीय वर्ष-2025-2026 हेतु दिनांक 26.03.2025 समय सांय 05:00 बजे तक सीलबंद निविदाएं (टैन्डर) आमंत्रित किये जाते हैं, जो दिनांक 27.03.2025 को सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर.भवन में खोले जायेंगे। इच्छुक निविदाकर्ता (टैन्डरकर्ता) नियम व शर्तों, स्थान तथा समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


(प्रकाश तिवारी)

अध्यक्ष, नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष संख्या-03
सहारनपुर।

सार्वजनिक सूचना

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों-एक कैन्टीन (नाश्ता चाय आदि), साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-2, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02 व एक रेहड़ी दाल मौठ को टैन्डर द्वारा उठाये जाने के लिए वित्तीय वर्ष-2025-2026 हेतु दिनांक 26.03.2025 समय सांय 05:00 बजे तक सीलबंद निविदाएं (टैन्डर) आमंत्रित किये जाते हैं, जो दिनांक 27.03.2025 को सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर.भवन में खोले जायेंगे। इच्छुक निविदाकर्ता (टैन्डरकर्ता) नियम व शर्तों, स्थान तथा समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


(प्रकाश तिवारी)

अध्यक्ष, नीलामी समिति /

अपर जिला जज कक्ष संख्या-03

सहारनपुर।